

== आदेश ==

प्राविधिक शिक्षा (डिप्लोमा सेक्टर), उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन राजकीय पालीटेकनिकों के समूह "ग" श्रेणी में तैनात निम्नलिखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था में स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-


क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पदनाम सर्वश्री :-	वर्तमान तैनाती का स्थान	संस्था जहाँ स्थानान्तरित किया जाता है।	अभ्युक्ति
1.	अजय कुमार यादव, अनुदेशक कम्प्यूटर	राजकीय पालीटेकनिक, फर्रुखाबाद	राजकीय पालीटेकनिक, मैनपुरी	जनहित में।
2.	पुनीत कुमार शुक्ला, अनुदेशक कम्प्यूटर	राजकीय महिला पालीटेकनिक, शामली	राजकीय पालीटेकनिक, फर्रुखाबाद	स्वयं के अनुरोध पर।
3.	शिवेन्द्रशील कुलश्रेष्ठ, अनुदेशक कम्प्यूटर	राजकीय चर्म संस्थान, आगरा	एस0जी0एस0जे0 पालीटेकनिक, खुर्जा, बुलन्दशहर	जनहित में।
4.	प्रीती अवस्थी, अनुदेशक कम्प्यूटर	राजकीय महिला पालीटेकनिक, फ़ैजाबाद	राजकीय पालीटेकनिक, बाराबंकी	स्वयं के अनुरोध पर।
5.	दीपक श्रीवास्तव, अनुदेशक कम्प्यूटर	राजकीय पालीटेकनिक, बाराबंकी	राजकीय पालीटेकनिक, शाहजहाँपुर	जनहित में।

उपरोक्त कार्मिकों में से जिस कार्मिक का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर किया गया है, उन्हें किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

सम्बन्धित प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित किये गये उपरोक्त कार्मिक को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर अविलम्ब कार्यमुक्त करके, उन्हें नये तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दे।

उपर्युक्त स्थानान्तरण आदेश की अवहेलना अनुशासनहीनता की परिधि में माना जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाये और यदि उपरोक्त कार्मिक इन आदेशों के विरुद्ध दबाव डालने का प्रयास करेगा, उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुये निलम्बन के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा। स्थानान्तरण आदेश के अनुसार कार्यभार न छोड़ने पर सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा उसकी सूचना सम्बन्धित कोषाधिकारी को दे दी जायेगी।

उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश शासन के पत्रांक-2/2017/1/3/96-का-4-2017, दिनांक 03.05.2017 के अनुपालन में निर्गत किये जा रहे हैं।

  
( कपील जहमद )  
निदेशक।

संख्या 10669 - 96 ई-स्था0स्थाना0अराज0(समूह-ग/घ)/2017-18, कानपुर, दिनांक 20 जून, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-2, विधान भवन, लखनऊ।
2. निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
3. वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
4. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, मध्यक्षेत्र, लखनऊ/बुन्देलखण्ड क्षेत्र, झांसी/पश्चिमी क्षेत्र, दौराला (मेरठ)।
6. उपरोक्त सम्बन्धित संस्था प्रधानाचार्य।
7. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

8. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
9. उपरोक्त सम्बन्धित कर्मचारी, द्वारा संस्था प्रधानाचार्य।
10. प्रकरण सहायक, श्रीमती इन्द्रा मिश्रा, प्रधान सहायक/श्री अखिलेश राय, वरिष्ठ सहायक, स्थापना।



(आर०सी० राजपूत)  
अपर निदेशक,  
कृते निदेशक, प्राविधिक शिक्षा,  
उत्तर प्रदेश।

